कार्यालय जिलाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांकः– 868 / एस0टी0–डी0एम0 / 2021 दिनांक :– 07 मई, 2021

कार्यालय आदेश

जनपद गौतमबुद्धनगर के तीनों प्राधिकरणों / नगर पालिका दादरी एवं नगर पंचायत जेवर क्षेत्र में कोविड–19 संक्रमण से प्रभावित होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों की सुविधा के लिए ऑक्सीजन गैस सिलेन्डरों की आपूर्ति हेतु वितरण / संग्रह सेन्टर स्थापित किये गये जायेंगें। उक्त सेन्टर पर ऑक्सीजन सिलेण्डर वितरण / संग्रह के लिए निम्न व्यवस्था की जाती है :–

1. **ऑक्सीजन गैस सिलेन्डरों की आपूर्ति हेतु क्षेत्र तथा उत्तरदायी प्राधिकरण / विभाग :–**

कम सं0	वितरण / **संग्रह क्षेत्र**	उत्तरदायी प्राधिकरण / विभाग
1	नोएडा क्षेत्र	नोएडा प्राधिकरण
2	ग्रेटर नोएडा क्षेत्र	ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण
3	यमुना प्राधिकरण क्षेत्र	यमुना एक्सप्रेस–वे प्राधिकरण
4	नगर पालिका परिषद दादरी क्षेत्र	अधिशासी अधिकारी–नं0पा0प0दादरी।
5	नगर पंचायत जेवर।	अधिशासी अधिकारी–नगर पंचायत जेवर।

2. उपरोक्त क्षेत्रों में ऑक्सीजन आपूर्ति के दृष्टिगत सम्बन्धित प्राधिकरण / निकाय को निर्देशित किया जाता है कि वे कोविड–19 संक्रमण से प्रभावित होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों की सुविधा के लिए अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत ऑक्सीजन गैस सिलेन्डरों की आपूर्ति हेतु तत्काल वितरण / संग्रह सेन्टर स्थापित करें तथा चिन्हित स्थल का नाम, उसका गूगल मैप लोकेशन एवं फोन नम्बर इत्यादि जनसामान्य की सुविधा हेतु प्रदर्शित करायें तथा वहां पर पर्याप्त संख्या में अपने अधीनस्थ कर्मचारियों / अधिकारियों की ड्यूटी भी लगायें। साथ ही यह सुनिश्चित करायें कि जमा कराने के 24 से 48 घण्टे के अन्दर ऑक्सीजन सिलेण्डर आपूर्ति किये जाने की व्यवस्था हो।
3. सम्बन्धित प्राधिकरण / निकाय द्वारा मारूति कारबोनिक्स ग्रेटर नोएडा से अपने सिलेण्डर रिफलिंग करायेगें।
4. आइनॉक्स ग्रेटर नोएडा के स्थानीय मैनेजर श्री अभिषेक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रतिदिन आवश्यकतानुसार Liquid Medical Oxygen(LMO) आपूर्ति मारूति कारबोनिक्स को सुनिश्चित करायें। औषधि निरीक्षक तथा अपर जिलाधिकारी–प्रशासन द्वारा इस प्रकिया का अनुश्रवण किया जायेगा।
5. उक्त रिफलिंग प्लान्ट में मात्र सक्षम अधिकारी / कर्मचारी ही जायेगें तथा जनमानस को विकेन्द्रीकृत व्यवस्था के अनुरूप ऑक्सीजन सिलेन्डर की आपूर्ति निर्धारित स्थल से ही सुनिश्चित की जायेगी।
6. मुख्य अग्निशमन अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त वितरण / संग्रह सेन्टरों पर निरीक्षण करते हुए अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी उपकरणों की ऑडिट किया जाना सुनिश्चित करेंगें।
7. सम्बन्धित प्राधिकरण / निकाय द्वारा सुरक्षा सम्बन्धी मानकों का नियमानुसार पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
8. सम्बन्धित प्राधिकरण / निकाय द्वारा प्राप्तकर्ता की सत्यता की भी आवश्यकतानुसार पुष्टि करायी जायेगी।
9. **ऑक्सीजन गैस सिलेन्डर प्राप्त करने हेतु आवश्यक दस्तावेज निम्न होगे :–**
   - आधार कार्ड की छायाप्रति।
   - डॉक्टर द्वारा जारी दवाई का पर्चा / प्रिसकिप्शन
   - ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल रिपोर्ट
   - कोरोना टेस्ट रिपोर्ट

10. **ऑक्सीजन गैस सिलेन्डर की आपूर्ति हेतु परिवहन एवं समस्त अनुमन्य शुल्क सहित निर्धारित शुल्क निम्नवत होगा :–**

- डी–टाईप (बड़े) ऑक्सीजन गैस सिलेन्डर हेतु अधिकतम अनुमन्य रूपये 500/– प्रति सिलेन्डर।
- डी–टाईप (छोटे) ऑक्सीजन गैस सिलेन्डर हेतु अधिकतम अनुमन्य रूपये 200/– प्रति सिलेन्डर।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(सुहास एल0वाई0)
जिलाधिकारी,
गौतमबुद्ध नगर।

प्रतिलिपिः– **निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित–**

1. मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
2. अपर मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री) उ0प्र0शासन, लखनऊ।
3. अपर मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) उ0प्र0शासन, लखनऊ।
4. अपर मुख्य सचिव (गृह) उ0प्र0शासन, लखनऊ।

निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

5. आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।
6. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नौएडा/प्रभारी कोविड–19, गौतमबुद्धनगर।
7. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा/यीडा।
8. पुलिस आयुक्त, गौतमबुद्धनगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उपरोक्त वितरण/संग्रह केन्द्रों पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल तैनात करने का कष्ट करें।
9. मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
10. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)/(वि0रा0) गौतमबुद्धनगर।
11. नगर मजिस्ट्रेट, नोएडा/ग्रेटर नोएडा।
12. समस्त उप जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
13. मुख्य चिकित्साधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
14. मुख्य अग्निशमन अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
15. औषधि निरीक्षक, गौतमबुद्धनगर
16. जिला सूचना अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
17. सम्बन्धित अधिकारियों को अनुपालनार्थ।
18. आइनॉक्स ग्रेटर नोएडा के स्थानीय प्रबन्धक।
19. मारुति कार्बोनिक्स, ग्रेटर नोएडा के स्थानीय प्रबन्धक।

7/5/2021

जिलाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर।